

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
JODHPUR

S.B. Civil First Appeal No. 510/2022

Executive Engineer And Ors.

----Appellant

Versus

Lrs Of Gajaram

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Sajjan Singh Rathore, AAG
For Respondent(s)	:	

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA SHEKHAR SHARMA

Order

24/07/2025

कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार पी.एफ. व नोटिस प्रस्तुत नहीं किए गए हैं एवं विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने की प्रतीक्षा में है।

अपीलार्थी विभाग की ओर से उपस्थित योग्य अतिरिक्त महाधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्यर्थीगण के पी.एफ. व नोटिस दो प्रतियों में दो सप्ताह में प्रस्तुत करें, जो प्रस्तुत होने पर चार सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस दो प्रतियों में जारी कर, एक प्रति साधारण प्रक्रिया से तथा दूसरी प्रति अपीलार्थी अथवा उसके अधिवक्ता को दस्ती उपलब्ध करवाई जाए।

कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख प्राप्त करने हेतु स्मरण पत्र जारी किया जाए। अपीलार्थी विभाग की ओर से उपस्थित योग्य अतिरिक्त महाधिवक्ता को अनुरोध पत्र दस्ती दी जाए।

(CHANDRA SHEKHAR SHARMA),J